संख्या–ए-1-80/दस-2014-10(28)/2011

प्रेषक,

आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ :: दिनांक : 11 फरवरी, 2014

**विषय :** प्रदेश के कोषागारों में ई-पेमेण्ट लागू होने के फलस्वरूप आवश्यक निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31-01-2013 द्वारा विभिन्न चरणों में ई-पेमेण्ट प्रणाली का विस्तार करते हुए दिनांक 01-04-2013 से कोषागारों द्वारा समस्त भुगतान ई-पेमेण्ट के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिसके क्रम में प्रदेश के सभी कोषागारों में सभी प्रकार के देयकों का भुगतान दिनांक 01-04-2013 से ई-पेमेण्ट के माध्यम से किया जा रहा है एवं अब कोषागारों द्वारा किसी भी भुगतान हेतु चेक जारी नहीं किया जा रहा है। ई-पेमेण्ट की इस व्यवस्था के अन्तर्गत आहरण-वितरण अधिकारियों के स्तर पर, कोषागार स्तर पर एवं राजकीय व्यवसाय किए जाने वाली बैंक की शाखाओं के स्तर पर कई प्रक्रियात्मक परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप ई-पेमेण्ट में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत शासनादेश संख्या-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 निर्गत किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि :

(i) सभी प्रशासकीय विभाग एवं बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा निर्गत की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों को दिनांक 15 मार्च, 2014 तक आवश्यक रूप से निर्गत कर दिया जाये तथा उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि वित्तीय स्वीकृतियाँ एवं उसके सापेक्ष आवंटन कार्य स्थल (आहरण एवं वितरण अधिकारी) तक विलम्बतम् दिनांक 20 मार्च, 2014 तक अवश्य पहुँच जाये।

(ii) सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में समस्त बिल विलम्बतम् दिनांक 25 मार्च, 2014 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जायें जिससे कि प्रस्तुत बिलों की आवश्यक चेकिंग के बाद कोषागारों द्वारा बिलों की पासिंग तथा ई-पेमेण्ट के माध्यम से दिनांक 31 मार्च, 2014 तक भुगतान हेतु ऑथराईजेशन किया जा सके,

............2/

क्योंकि दिनांक 31 मार्च, 2014 तक पारित बिलों का भुगतान ई-पेमेण्ट द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2014 को रात्रि 08:00 बजे तक ही हो पायेगा।

(iii) सभी कोषागारों द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2014 तक प्राप्त हुए बिलों की जॉच कर विलम्बतम् दिनांक 27 मार्च, 2014 तक ई-पेमेण्ट व्यवस्था के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारियों को टोकन नम्बर जारी कर दिये जायें।

(iv) कोषागारों से उक्तानुसार जैसे ही आहरण एवं वितरण अधिकारियों को टोकन नम्बर प्राप्त हो जाये, उनके द्वारा ई-पेमेण्ट के लिए ट्रान्जेक्शन फाइल को विलम्बतम् दिनांक 28 मार्च, 2014 तक अपलोड एवं अप्रूव करने की कार्यवाही अवश्य कर ली जाय, जिससे कि कोषागारों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2014 के पूर्व ही बिलों की जॉच कर ई-पेमण्ट के द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जा सके।

(v) उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन आगामी वित्तीय वर्षो में भी सुनिश्चित किया जायेगा।

3- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अपने नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्षों तथा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। उक्त का अनुपालन न करने तथा सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत् हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

( आनन्द मिश्र )
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या–ए-1-80(1)/दस-2014-10(28)/2011, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- सहायक महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, लखनऊ-226001.
6- क्षेत्रीय महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, क्षेत्र महाप्रबन्धक सचिवालय, नया भवन प्रथम तल, हजरतगंज, लखनऊ-226001.
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

( राकेश चौबे )
विशेष सचिव।

कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ
पत्रांक - 2368/बजट/29(5)/30/13, दि0 28-2-2014
उपरोक्त शासनादेश की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
(1) समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
(2) समस्त अपर निदेशक (ग्रेड-II)/संयुक्त निदेशक/आ0वि0अ0, मुख्यालय।